यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, हरिद्वार** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, हरिद्वार के माह 04/2019 से 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री एस. एस. दरियाल, श्री अजय कुमार मिश्रा सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री आनन्द पाण्डेय, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 28.09.2020 से 08.10.2020 तक श्री आर. एस. नेगी-II वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पुर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **(1) परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री सिराज हुसैन, एवं श्री अजय कुमार मिश्रा सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 07.12.2019 से 17.12.2019 तक श्री शशिकान्त पाण्डेय वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2018 से 03/2019 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2018 से 03/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व हेतु माह 04/2019 से 03/2020 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2019 से 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी है।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** - समस्त जनपद देहरादून

   (ii) (अ) **राजस्व विवरण**

   विगत तीन वर्षो मे कार्यालय (आबकारी विभाग) द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है (ब्याज,अर्थदण्ड एवं अन्य प्राप्तियां)

(₹ लाख में)

वर्ष	अर्जित राजस्व
2017-18	29922.95
2018-19	35695.74
2019-20	35048.30

(ii)(ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+) `	बचत (-) `
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2017-18	-	-	252.00	248.85	-	-	-	03.15
2018-19	-	-	278.71	267.71	-	-	-	11.00
2019-20	-	-	20.09	16.44	-	-	-	3.65

(I) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

(iii)इकाई को बजट आवंटन मुख्यालय द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई ‘A’ श्रेणी की है।

(iv)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

आबकारी सचिव-आबकारी आयुक्त- अपर आबकारी आयुक्त- संयुक्त आबकारी आयुक्त- उप आबकारी आयुक्त-सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी - आबकारी निरीक्षक-लिपिक

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, हरिद्वार** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, हरिद्वार** लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षो पर आधारित है।

(vi) **विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-**

राजस्वः माह 07/2019 को विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

व्ययः माह 03/2019 को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- लागू नहीं ।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

राजस्व की लेखा-परीक्षा

भाग-II (अ)

प्रस्तर- 01 : नियमों के विपरीत मदिरा दुकानों के संचालन के परिणामस्वरूप ₹ 11.25 करोड़ जब्त नहीं किया जाना।

प्रस्तर- 02 : देशी, विदेशी दुकानों के व्यवस्थापन न होने पर इन दुकानों के दैनिक आधार पर संचालन न किये जाने से राजस्व हानि।

भाग-II (ब)

प्रस्तर- 01 : नियमानुसार कार्यवाही नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप रु.02.37 लाख ब्याज आरोपित कर नहीं वसूले जाने।

प्रस्तर- 02 : अनुज्ञापि को अनुचित लाभ देते रहने से राजस्व क्षति रु0 17.26 लाख।

प्रस्तर- 03 : अवशेष बकायेदारों के संबंध में कोई भी अभिलेख का रख-रखाव नहीं किया जाना।

प्रस्तर- 04 : Trace and Track नियम का अनुश्रवण न कर अनुज्ञापियों पर निगरानी न किया जाना ।

प्रस्तर- 05 : कोषागार से असत्यापित चालान धनराशि ₹16.01 लाख।

STAN

प्रस्तर- 01 : निर्धारित राजस्व लक्ष्य से कम राजस्व प्राप्त किया जाना।

व्यय की लेखापरीक्षा

भाग-II (अ)

शून्य

भाग-II (ब)

शून्य

भाग-दो (अ)

प्रस्तर- 01 : नियमों के विपरीत मदिरा दुकानों के संचालन के परिणामस्वरूप ₹ 11.25 करोड़ जब्त नहीं किया जाना।

उत्तराखंड शासन, आबकारी अनुभाग, अधिसूचना संख्या 126/XXIII/2019/04(04)/2018 देहरादून दिनांक 07 फरवरी, 2019 से उत्तराखण्ड राज्य में देशी/विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर बिक्री को विनियमित करने की दृष्टि से वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए नीति बिषयक नियमावली, 2019 बनायी गयी है।

नियमावली के नियम 5 के अनुसार, आवेदक द्वारा मदिरा की दुकान के आवंटन पश्चात **निर्धारित औपचारिकतायें पूर्ण न करने पर आवंटित मदिरा की दुकान का आवंटन अनुज्ञापी के जोखिम पर आबकारी नियमावली, 2001 यथा संशोधित के अंतर्गत निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी** तथा अनुज्ञापी द्वारा जमा किए गए समस्त राजस्व को राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर दुकान का आवंटन पुनः निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

नियम 5.5 के **अनुसार, आवेदक को आवंटित मदिरा की दुकान का निर्धारित अनुज्ञापन शुल्क तत्काल आवंटन के समय जमा करना होगा।**

नियम 5.6 के **अनुसार, प्रथम प्रतिभूति धनराशि नकद 07 दिवस एवं द्वितीय प्रतिभूति नकद अथवा बैंक गारंटी के रूप में ब्यवस्थापन के 30 दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा।**

नियम 5.7 के अनुसार, **द्वितीय प्रतिभूति व्यवस्थापन के 25 दिवस के भीतर जमा न करने की दशा में देशी/विदेशी मदिरा की आपूर्ति रोक दी जाएगी।**

कार्यालय जिला आवकारी अधिकारी, हरिद्वार के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि कुल 95 (37 विदेशी मदिरा + 58 देशी मदिरा) मदिरा की दुकानों का व्यवस्थापन किया गया था, में से एक भी मदिरा दुकानों के अनुज्ञापियों द्वारा सभी धनराशियाँ जो कि लाइसेन्स शुल्क, प्रथम प्रतिभूति दुकान संचालन से पूर्व ही जमा किया जाना था, जो कि जमा नहीं किया गया था। (विवरण पत्र सलग्न)। उल्लेखनीय है कि उल्लिखित नियम में स्पष्ट प्रावधान होने के बाद भी बिना पूर्ण लाइसेन्स शुल्क एवं प्रतिभूति जमा कराये ही अधिभार जमा करने वाले मदिरा दुकानों को मदिरा का उठान दिया जाता रहा। कुल 95 व्यवस्थापित **देशी/विदेशी मदिरा दुकानों में से 23 दुकानों के अनुज्ञापियों के द्वारा लाइसेन्स शुल्क एवं प्रतिभूति जमा नहीं करने के बाद भी अधिभार की राशि जमा करने पर मदिरा उठान हेतु आदेश जारी किया जाना नियम एवं नीति के बिरुद्ध था।** उल्लिखित नियमानुसार राजस्व जमा नहीं करने पर मदिरा दुकानों का निरस्तीकरण किया जाना था। यदि विभाग द्वारा उल्लिखित नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये उन सभी मदिरा की फुटकर दुकानों

का निरस्तीकरण की जाती तो देय धनराशि के सापेक्ष आंशिक जमा धनराशि रु.11,24,79,335/-(42271562 ला.शु.+8404646 नवीनी.शु.+ 61803127 प्रतिभूति) जब्त की जाती (विवरण पत्र सलग्न)। अर्थात यथा समय निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाती तो सरकारी खजाने में रु.11.25 करोड़ जब्त कर जमा की जाती। विभाग के द्वारा नियम विरुद्द मदिरा दुकानों का संचालन कर दुकान स्वामियों को अदेय लाभ दिया गया। इसे इंगित करने पर विभाग ने आंकड़ों एवं तथ्यों की पुष्टि करते हुये बताया कि “जाँचोपरांत आख्या प्रस्तुत की जाएगी”। अतः नियमानुसार निश्चित समयांतर्गत राजस्व जमा नहीं करने वाले मदिरा दुकानों का निरस्तीकरण की कार्यवाही नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप रु. 11.25 करोड़ जब्त नहीं किए जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

Sl. No.	दुकान का नाम	अनुज्ञापी का नाम	दुकान आवंटन की तिथि	कुल निर्धारित राजस्व	लाइसेन्स शुल्क	कुल अधिभार	मासिक अधिभार	लाई.शुल्क जमा करने की निश्चित तिथि	निश्चित समयांतर्गत जमा लाई.शुल्क	जमा नवीनीकरण शुल्क	निर्धारित प्रथम प्रतिभूति	निश्चित समयांतर्गत जमा प्रथम प्रतिभूति	प्रथम उठान की तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**शिवालिक नगर**	मोहनी कोहली	06/04/19	112500000	1125000	111375000	9281250	0/04/19	-	-	9281250	-	6/4/19
2	रोशनाबाद	गिन्नी बत्रा	16/02/19	91573836	916000	90657836	7554820	19/02/19	916000	915740	7554820	-	31/3/19
3	सलेज फार्म	महक सिंह	16/02/19	118680000	1187000	117493000	9791084	19/02/19	1187000	1186800	9791084	5200000	31/3/19
4	पथरी	दीप्ति चौहान	16/02/19	7359709	74000	7285709	607143	19/02/19	74000	200000	607143	-	31/3/19
5	नया गाँव	राजेन्द्र कुमार	16/02/19	119280000	1193000	118087000	9840584	19/02/19	1193000	1192800	9840584	-	31/3/19
6	बहादराबाद बाइपास रोड	प्रमोद कर्नवाल	30/03/19	22500000	225000	22275000	1856250	30/03/19	225000	-	1856250	1270000	30/3/19
7	**काँगड़ी रोड**	शुभम वालिया	12/04/19	50000000	500000	49500000	4125000	12/04/19	-	-	4125000	-	16/4/19
8	चिडियापुर	विजय सिंह मेहर	29/06/19	9750000	98000	9652000	1072445	29/06/19	-	-	1072445	146000	01/7/19
9	कटेवड लालढांग	प्राची गुप्ता	29/06/19	6825000	68000	6757000	750778	29/06/19	-	-	750778	120250	01/7/19
10	धानौरी रोड	योगेश	02/04/19	19500000	195000	19305000	1608750	02/04/19	-	-	1608750	1608750	02/4/19
11	**शांतरशाह रोड**	मनोज कुमार	25/04/19	25500000	255000	25245000	2103750	25/04/19	-	-	2103750	-	25/4/19
12	बेगमपुर	शिकोन	30/03/19	14500000	145000	14355000	1196250	30/03/19	-	-	1196250	217500	31/3/19

13	शाहपुर शीतला खेड़ा	मानसी वर्मा	16/02/19	14661818	147000	14514818	1209569	19/02/19	147000	200000	1209569	-	02/4/19
14	बुग्गावाला	महिपाल	16/02/19	8984489	90000	8894489	741208	19/02/19	90000	200000	741208	-	08/4/19
15	**औरंगाबाद**	शिवा अग्रवाल	03/05/19	9200000	92000	9108000	828000	03/05/19	-	-	828000	-	04/5/19
16	मैन बाजार	राकेश कुमार	26/04/19	53493100	535000	52958100	4743573	29/04/19	-	-	4743573	965000	26/4/19
17	मलकपुर चुंगी	शैलेश मोदी	16/02/19	30109091	301000	29808091	2484008	19/02/19	301000	301091	2484008	-	31/3/19
18	रामनगर कैम्प	जसपाल सिंह	28/03/19	57500000	575000	56925000	4743750	28/03/19	-	-	4743750	4743750	30/3/19
19	**रामनगर भगवानपुर रोड**	कल्पना	03/05/19	32000000	320000	31080000	2880000	03/05/19	-	-	2880000	-	04/5/19
20	पूर्वावली	सतपाल	29/03/19	52992800	530000	52462800	4371900	29/03/19	530000	-	4371900	3370000	30/3/19
21	लण्ढौरा	अनुज	29/06/19	11853335	119000	11734335	1303815	29/06/19	-	-	1303815	178000	01/7/19
22	**भगवानपुर**	निर्मला देवी	26/04/19	46350200	464000	45886200	3823850	26/04/19	-	-	3823850	-	26/4/19
23	**सिविल लाइन बस अड्डा**	गुड्डी	29/06/19	30875000	309000	30566000	3396222	29/06/19	-	-	3396222	-	01/7/19
24	सिविल लाइन तिराहा	प्रवीण कुमार	26/04/19	32500000	325000	32175000	2681250	26/04/19	-	-	2681250	580000	26/4/19
25	मंगलौर	आदित्य शर्मा	04/05/19	38100000	381000	37719000	3429000	04/05/19	381000		3429000	-	04/5/19
26	झबरेड़ा	रीटम	27/03/19	21500000	215000	21285000	1773750	27/03/19	-		1773750	321000	02/4/19

27	डबल फाटक	सुरेन्द्र सिंह	24/04/19	23207700	232000	22975700	1914642	24/04/19	232000		1914642	1914642	24/4/19
28	सोहलपुर हद्दीवाला रोड	लीना शर्मा	17/04/19	5729000	57000	5672000	472667	17/04/19	57000		472667	-	18/4/19
29	रुड़की बाईपास	अल्का शर्मा	27/03/19	13430115	134000	13296115	1108010	27/03/19	-		1108010	216000	02/4/19
30	बाजुहेड़ी	सोमित सीसोदिया	27/03/19	7000521	70000	6930521	577544	27/03/19	-		577544	100000	02/4/19
31	हल्लू माजरा	योगेश	29/06/19	3580915	36000	3544915	393880	29/06/19	-		393880	54000	01/7/19
32	लक्सर रायसी तिराहा	चंदभान	26/04/19	17500000	175000	17325000	1551838	26/04/19	-		1551838	262500	27/4/19
33	लक्सर स्टेशन रोड	अरबिन्द सैनी	29/06/19	4815200	48000	4767200	529689	29/06/19	-		529689	73000	01/7/19
34	लक्सर फ्लाई ओवर	संदीप जैन	29/03/19	8000000	80000	7920000	660000	29/03/19	80000		660000	120000	02/4/19
35	**सुल्तानपुर/ कुन्हेरी**	मुन्नी देवी	05/04/19	10000000	100000	9900000	825000	05/04/19	-		825000	-	06/4/19
36	रायसी	मनीष राठी	16/03/19	6831000	68000	6763000	563584	16/03/19	-		563584	563584	31/3/19
37	**बुक्कनपुर**	संदीप जैन	23/04/19	3740000	37000	3703000	308584	23/04/19	-		308584	-	25/4/19
				1141922829	11421000	1142226829	9703437		**5413000**	**4196431**	97103437	**22023976**	

Sl. No.	दुकान का नाम	अनुज्ञापि का नाम	दुकान आवंटन की तिथि	कुल निर्धारित राजस्व	लाइसेन्स शुल्क	कुल अधिभार	मासिक अधिभार	लाई.शुल्क जमा करने की निश्चित तिथि	निश्चित समयांतर्गत जमा लाई.शुल्क	जमा नवीनीकरण शुल्क	निर्धारित प्रथम प्रतिभूति	निश्चित समयांतर्गत जमा प्रथम प्रतिभूति	प्रथम उठान की तिथि
1	रावली महदूद	कंचन कोहली	29/3/19	102500000	8200000	94300000	7858334	29/3/19	2562500	-	7858334	-	22/4/19
2	रोशनाबाद	अनुपमा सिंह	16/2/19	79651979	6372000	73279979	6106665	19/2/19		796520	6106665	6106665	02/4/19
3	सलेज फार्म	रेणु खन्ना	16/2/19	101880000	8150000	93730000	7810834	19/2/19	2500000	1018800	7810834	7810834	31/3/19
4	**सहदेवपुर**	रंजना	18/4/19	5000000	400000	4600000	383334	18/4/19	-	-	383334	-	18/4/19
5	नयागांव	लोकेश कोहली	22/2/19	89208240	7137000	82071240	6839270	25/2/19	2500000	892085	6839270	500000	22/4/19
6	एक्कड़	प्राची गुप्ता	29/6/19	16575000	1326000	15249000	1694333	29/6/19	1650	-	1694333	-	01/7/19
7	काँगड़ी रोड	राहुल बंसल	15/4/19	81000000	6480000	74520000	6210000	15/4/19	2500000	-	6210000	-	15/4/19
8	कटेबड़ लालढ़ांग	कंचन कोहली	29/6/19	14300000	1144000	13156000	1461778	29/6/19	-	-	1461778	13500	01/7/19
9	**शिवालिक नगर**	हरवंश सिंह	26/4/19	80000000	6400000	73600000	6133334	26/4/19	-	-	6133334	-	26/4/19
10	सलेमपुर	शेफाली वालिया	29/6/19	29250000	2340000	26910000	2990000	29/6/19	146100		2990000	-	01/7/19
11	**सलेमपुर तिराहा**	गुड्डी	29/6/19	22750000	1820000	20930000	2325556	29/6/19	-	-	2325556	-	01/7/19

12	बांग्ला	वीरेंद्र चौहान	18/4/19	22000000	1760000	20240000	1686667	18/4/19	1160000		1686667	-	20/4/19
13	**शाहपुर शीतला खेड़ा**	उषा देवी	16/4/19	25000000	2000000	23000000	1916667	16/4/19	-	-	1916667	-	18/4/19
14	**धानौरी रोड**	कल्पना नौटीयाल	01/5/19	23000000	1840000	21160000	1923637	01/5/19	-	-	1923637	-	01/5/19
15	मीरपुर	सुरेसावती	20/4/19	25000000	2000000	23000000	1916667	20/4/19	-	-	1916667	500000	20/4/19
16	**बंदरजूट रोड**	लीला राम आर्य	31/3/19	22500000	1800000	20700000	1875000	31/3/19	-	-	1875000	-	02/4/19
17	औरंगाबाद	कुतेश त्यागी	29/6/19	13000000	1040000	11960000	1328889	29/6/19	-	-	1328889	16250	01/7/19
18	रसूलपुर/ डालूवाला	गगन कुमार	30/3/19	5000000	400000	4600000	383334	30/3/19	400000		383334	30000	02/4/19
19	बेगमपुर	विजेंदर प्रसाद	16/4/19	20000000	1600000	18400000	1533334	16/4/19	-	-	1533334	933334	16/4/19
20	शांतरशाह रोड	ओमवती	16/2/19	17208093	1377000	15831093	1319257	19/2/19	1377000	200000	1319257	1319257	31/3/19
21	**भारापुर**	अल्का शर्मा	01/5/19	6000000	480000	5520000	501819	01/5/19	-	-	501819	-	01/5/19
22	सब्जीमंडी	रीता सैनी	29/6/19	36400000	2912000	33488000	3720889	29/6/19	680000	-	3720889	-	01/7/19
23	**मलकपुर चुंगी**	करुणा गोयल	20/4/19	40000000	3200000	36800000	3066667	20/4/19	-	-	3066667	-	20/4/19
24	भगवानपुर	महेश त्यागी	29/3/19	66400000	5312000	61068000	5090667	29/3/19	2500000	-	5090667	5090667	31/3/19
25	**तज्जुपुर**	पीताम्बर सिंह	22/4/19	22375300	1790000	20585300	1715442	22/4/19	-	-	1715442	-	23/4/19

26	सिकंदरपुर	कलाम सिंह	16/2/19	19768581	1581000	18187581	1515632	19/2/19	1581000	200000	1515632	390000	22/4/19
27	मंगलौर	सुमित आहूजा	17/4/19	29250000	2340000	20910000	2990000	17/4/19	1605000	-	2990000	-	29/6/19
28	मंगलौर लिब्बरहेरी	पुष्पा	16/3/19	19111000	1529000	17582999	1465167	16/3/19	1054000	-	1465167	1465170	02/4/19
29	डाडा पट्टी	भोपाल सिंह	16/4/19	13150000	1052000	12098000	1008167	16/4/19	1052000	-	1008167	-	02/4/19
30	**हल्लुमाजरा**	शोभाराम	17/4/19	8777777	702000	8075777	672982	17/4/19	-	-	673000	-	02/4/19
31	**पूर्वावली**	मनपीत सिंह	29/6/19	54000000	4320000	49680000	4140000	29/6/19	-	-	4140000	-	25/4/19
32	**रामनगर रोड**	भगवानपुर	16/4/19	42500000	3400000	39100000	3258334	16/4/19	-	-	3258334	-	17/4/19
33	रामनगर सलेमपुर रोड	विजयपाल	29/6/19	21272745	1702000	19570745	2174527	29/6/19	588000		2174527	1350000	01/7/19
34	इकबालपुर	राजेन्द्र सिंह	18/4/19	31350000	2508000	28842000	2403500	18/4/19	-	-	2403500	625000	18/4/19
35	इकबालपुर रोड	इशम सिंह	29/6/19	13487500	1079000	12408500	137822	29/6/19	741812		1378722	520000	29/6/19
36	**ढंढेरा फाटक**	कारण सिंह राणा	26/4/19	21478500	1718000	19760500	1769990	26/4/19	-	-	1769990	-	26/4/19
37	डबल फाटक	राजकुमार पुंडीर	17/4/19	12872700	1030000	11842700	986892	17/4/19	530000		986892	-	18/4/19
38	लंडौरा	मामराज	29/6/19	24290500	1943000	22347500	2483056	29/6/19	1943000		2483056	1792000	01/7/19
39	**सोहलपुर हद्दीवाला**	राजू	16/4/19	21250000	1700000	19550000	1629167	16/4/19	-	-	1629167	-	16/4/19

40	इमलीखेड़ा	राकेश कुमार	22/2/19	20400000	1632000	18768000	1564000	25/2/19	1632000	204000	1564000	1564000	02/4/19
41	झबरेड़ा	श्रीमति शांति	16/2/19	49680932	3974000	45706932	3808911	19/2/19	2500000	496810	3808911	3808911	04/4/19
42	लातरदेवा हुन/ ग्लास फेक्टरी	ओमपाल	16/2/19	14597025	1168000	13429025	1119086	19/2/19	1168000	200000	1119086	1119100	08/4/19
43	मानकपुर खेड़ा	सुरेशपाल	28/3/19	5454500	436000	5018500	418209	28/3/19	436000		418209	418209	31/3/19
44	रामनगर लखनौता	दिनेश	29/6/19	10377575	830000	9547575	1060842	29/6/19	8000		1060842	-	01/7/19
45	सल्फर बेलड़ी	मनोज गोयल	27/3/19	17900521	1432000	16468521	1372377	27/3/19	1408000		1372377	-	02/4/19
46	सुल्तानपुर कुन्हेरी	मनीष राठी	16/3/19	9311000	745000	8566000	713834	16/3/19	540000		713834	713834	31/3/19
47	भोगपुर	अरुण	16/3/19	5136000	411000	4725000	393750	16/3/19	291000		393750	393750	02/4/19
48	लक्सर हरिद्वार रोड	आशारानी	29/6/19	14300000	1144000	13156000	1461778	29/6/19	786500		1461778	-	01/7/19
49	श्री सीमेंट फ़ेक्ट्री	तंजपाल	29/6/19	4355000	348000	4007000	445222	29/6/19	239000		445222	-	03/7/19
50	रायसी	अरविंद सेनी	16/3/19	12500511	1000000	11500511	958376	16/3/19	132500		958376	-	02/4/19
51	कुड़ी भगवानपुर	स्नेहलता	29/6/19	5005000	400000	4605000	511667	29/6/19	2000		511667	-	01/7/19
52	भिक्कमपुर	संदीप	27/3/19	6955786	556000	6399786	533316	27/3/19	295000		533316	-	02/4/19
53	मुंडाखेड़ा	शिवकुमार	29/6/19	6527950	522000	6005950	667328	29/6/19	92500		667328	-	01/7/19
54	लक्सर रायसी तिराहा	स्वाति	16/2/19	19319999	1546000	17773999	1481166	19/2/19	1546000	200000	1481166	1481166	30/3/19

55	दाबकी	अरुण	16/3/19	4160000	333000	3827000	318917	16/3/19	32000		318917	318920	02/4/19
56	खानपुर	विनेश	29/6/19	4225000	338000	3887000	431889	29/6/19	-		431889	-	01/7/19
57	पोड़ोवाली/डेरियो	पुष्पा	16/3/19	2155000	172000	1983000	165250	16/3/19	127000		165250	165250	02/4/19
58	लक्सर फ्लाईओवर	रुमन देवी	16/3/19	21304004	1704000	19600004	1633334	16/3/19	201000		1633334	1333334	30/3/19
				1532223118	122575000	1403629717	123486862		**36858562**	**4208215**	124727780	**39779151**	

भाग दो 'अ'

प्रस्तर- 02 : देशी, विदेशी दुकानों के व्यवस्थापन न होने पर इन दुकानों के दैनिक आधार पर संचालन न किये जाने से राजस्व हानि।

उत्तराखंड शासन के आबकारी अनुभाग के "उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली 2019" की संख्या॰ 126/XXIII/2019/04(04)/ 2018 देहारादून दिनांक 07॰02॰2019 के नियम 1॰1 में प्रावधान किया गया है कि वर्ष 2019-20 के लिये जिला आबकारी अधिकारी द्वारा दुकनवार राजस्व का निर्धारण कर जिलाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा उपरोकतानुसार मदिरा की दुकानों के निर्धारित राजस्व में ही जनपद में नई दुकाने का सृजन भी किया जा सकता है | एवं नियम-4 में प्रावधान किया गया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 की किसी अवधि में दुकान व्यवस्थापन की प्रक्रिया में समय लगता है तो व्यवस्थापन की अवधि में दुकान व्यापक प्रचार प्रसार के पश्चात दैनिक आधार पर संचालन किया जाएगा |

कार्यालय जिला आबकारी अधिकार हरिद्वार के वर्ष 2019-20 की व्यवस्थापन प्रत्रावली की जांच मे पाया कि जिला हरिद्वार को रू 362 करोड़ का राजस्व प्राप्त करने का लक्ष्य दिया गया। जिसके परिपेक्ष्य में जिले की 130 दुकानों (52 विदेशी मदिरा, 78 देशी मदिरा) में राजस्व निर्धारित किया गया | जिसमें 16 दुकाने (विदेशी मदिरा 07,देशी मदिरा 09) नवीनीकृत की गयी, 14 दुकाने (विदेशी मदिरा 04,देशी मदिरा 10) ई-टेण्डर द्वारा और 22 दुकाने (विदेशी मदिरा 06, देशी मदिरा 16) लाटरी से व्यवस्थापित हुई थी, तथा 43 दुकाने (विदेशी 20, देशी मदिरा 23) प्रथम आवक प्रथम पावक कुल 95 दुकानों का व्यवस्थापन हुआ तथा शेष 35 विदेशी, देशी मदिरा की दुकानों(विवरण संलग्न-1) का निर्धारित राजस्व रू-77,40,87,400/- था मदिरा की दुकानों का व्यवस्थापन नहीं हो पाया था | जिससे उक्त राजस्व प्राप्त नहीं किया जा सका |

लेखापरीक्षा द्वारा दुकानों का व्यवस्थापन न होने के सम्बन्ध मे इगित किये जाने पर इकाई ने अवगत कराया कि 95 देशी,विदेशी मदिरा दुकानो का व्यवस्थापन नवीनीकृत, ई-टेण्डर, लाटरी एवं प्रथम आवक प्रथम पावक,से व्यवस्थापित करायी गयी, और 35 दुकानों के व्यवस्थापन हेतु प्रयास किया गया परन्तु व्यवस्थापन नहीं हो सका |

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है कि क्योकि आबकारी नीति के नियम-4 मे प्रावधान है कि किसी अवधि में दुकान व्यवस्थापन मे समय लगता है तो दुकान को दैनिक आधार पर संचालन किया जायेगा, परन्तु इकाई द्वारा दैनिक आधार पर संचालन नहीं किया गया। यदि दुकानों का दैनिक आधार पर संचालन किया गया होता तो विभाग को राजस्व प्राप्त होता | जबकि विगत वर्ष 2018-19 में उक्त 35 देशी,विदेशी मदिरा की दुकानों से ही रू- 6384॰31 लाख का व्यवस्थापन राजस्व प्राप्त हुआ था और जिलाधिकारी हरिद्वार के पत्रांक संख्या 919/कार्या॰सहा॰/2019-20/हरिद्वार दिनांक 24-05-2019 के द्वारा कार्यालय आयुक्त आबकारी उत्तराखण्ड देहरादून से मदिरा की दुकानों के निर्धारित राजस्व पर व्यवस्थापित न होने पर मांगे गये सुझाव अनुज्ञापियों हेतु ब्राण्ड विशेष का विक्रय किए जाने हेतु कोटा निर्धारित किया गया था जिसका अत्याधिक विरोध सामने आया, एवं अव्यवस्थापित मदिरा दुकानों को निर्धारित राजस्व के न्यूनतम 60 प्रतिशत राजस्व पर आफर प्राप्त कर खुली बोली के माध्यम से व्यवस्थापन किये जाने हेतु अनुज्ञापियों द्वारा सुझाव

प्रस्तुत किया गया, परन्तु उक्त के सम्बन्ध में मुख्यालय द्वारा कोई निर्देश नहीं दिये गये। इस सम्बंध में मुख्यालय की लेखापरीक्षा के दोरान पूछे जाने पर अवगत् कराया गया कि संबन्धित प्रकरण की समीक्षा कर लेखापरीक्षा को अवगत करा दिया जायेगा। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि 35 देशी, विदेशी दुकानों के व्यवस्थापन न होने पर इन दुकानों के दैनिक आधार पर संचालन न किये जाने से राजस्व हानि हुई।

अत: उक्त प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो (ब)

प्रस्तर- 01 : नियमानुसार कार्यवाही नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 02.37 लाख ब्याज आरोपित कर नहीं वसूले जाने।

उत्तराखंड शासन, आबकारी अनुभाग, अधिसूचना संख्या 126/XXIII/2019/04(04)/2018 देहरादून दिनांक 07 फरवरी, 2019 उत्तराखण्ड राज्य में देशी/विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर बिक्री को विनियमित करने की दृष्टि से वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए नीति बिषयक नियमावली, 2019 बनाया गया है। इस नियमावली के नियम 7.6 के अनुसार विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान पर निर्धारित शर्तो के अधीन एफ.एल.-5 डी. लाइसेंसी द्वारा दुकान की चौहद्दी से लगे परिसर में मदिरा उपभोग की ब्यवस्था हेतु सुबिधानुसार एफ.एल.-5 ई. लाइसेन्स लेना होगा। एफ.एल.-5 ई. की लाइसेन्स फीस दुकान की लाइसेन्स फीस के 40% के बराबर होगी।

उक्त के सन्दर्भ में कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, हरिद्वार के अभिलेखों की जांच में पाया कि अभिलेखों में दुकान की चौहद्दी से लगे परिसर में मदिरा उपभोग की ब्यवस्था हेतु प्रपत्र एफ.एल.-5 ई. लाइसेन्स जारी करने का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं था, लेकिन सभी ब्यवस्थापित विदेशी मदिरा के दुकानों से निर्धारित लाइसेन्स फीस के 40 प्रतिशत धनराशि एफ.एल.-5 ई. लाइसेन्स के रूप में वसूला गया था। इससे स्पष्ट है कि सभी व्यवस्थापित विदेशी मदिरा दुकानों के चौहद्दी से लगे परिसर में मदिरा उपभोग की ब्यवस्था थी। अतः दुकान संचालन से पूर्व ही एफ.एल.-5 ई. अनुज्ञापत्र, अनुज्ञाधारी द्वारा शुल्क जमा कर जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय से प्राप्त करना था। लेकिन किसी भी अनुज्ञाधारी द्वारा दुकान संचालन से पूर्व एफ.एल.-5 ई. अनुज्ञापत्र, अनुज्ञाधारी द्वारा शुल्क जमा कर प्राप्त नहीं किया था। अर्थात अनुज्ञाधारियों द्वारा अनुज्ञा शुल्क बिलम्ब से जमा किया गया था, जिस पर विभाग ने कोई ब्याज की गणना कर मांग नहीं की गई। जबकि आबकारी राजस्व बिलम्ब से जमा करने पर ब्याज वसूला जाना वांछित था। नियमानुसार ब्याज की गणना कर नहीं वसूले जाने के परिणामस्वरूप रु. 237176 ब्याज वसूला नहीं जा सका(विवरण संलग्न)। जबकि विभाग को दुकान संचालन से पूर्व ही अनुज्ञा शुल्क जमा करवाकर एफ.एल.-5 ई. अनुज्ञापत्र जारी करना चाहिए था, लेकिन विभाग के संज्ञान में होने पर भी प्रश्नगत धनराशि समय से जमा करने हेतु कोई मांग पत्र अनुज्ञापियों को जारी नहीं किया गया था। अतः जानबूझकर अनुज्ञाधारियों को अदेय लाभ दिया गया और विलम्ब से अनुज्ञा शुल्क जमा करने पर कोई ब्याज भी नहीं लिया गया, जो कि गंभीर वित्तीय अनियमितता का द्योत्तक है। इसे इंगित करने पर विभाग ने आंकढ़ों एवं तथ्यों की पुष्टि करते हुये बताया कि "नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी"।

अतः नियमानुसार कार्यवाही नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप रु.02.37 लाख ब्याज आरोपित कर नहीं वसूले जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

Sl. No.	दुकान का नाम	अनुज्ञापि का नाम	दुकान आवंटन की तिथि	कुल निर्धारित राजस्व	लाइसेन्स शुल्क	केंटीन फीस (लाइसेन्स शुल्क का 40%)	केंटीन शुल्क देय तिथि (उठान तिथि)	वास्तविक जमा तिथि	बिलम्ब से जमा (दिन में)	ब्याज 18%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	शिवालिक नगर	मोहनी कोहली	06/04/19	112500000	1125000	450000	6/4/19	27/08/19	143	32175
2	रोशनाबाद	गिन्नी बत्रा	16/02/19	91573836	916000	366400	31/3/19	09/09/19	161	29495
3	सलेज फार्म	महक सिंह	16/02/19	118680000	1187000	474800	31/3/19	08/04/19	07	1662
4	पथरी	दीप्ति चौहान	16/02/19	7359709	74000	29440	31/3/19	02/09/19	154	2267
5	नया गाँव	राजेन्द्र कुमार	16/02/19	119280000	1193000	477200	31/3/19	02/09/19	154	36744
6	बहादराबाद बाइपास रोड	प्रमोद कर्नवाल	30/03/19	22500000	225000	90000	30/3/19	20/09/19	172	7740
7	काँगड़ी रोड	शुभम वालिया	12/04/19	50000000	500000	200000	16/4/19	08/07/19	89	8900
8	चिडियापुर	विजय सिंह मेहर	29/06/19	9750000	98000	39200	01/7/19	07/09/19	68	1333
9	कटेवर लालडांग	प्राची गुप्ता	29/06/19	6825000	68000	27200	01/7/19	27/08/19	57	775
10	धानौरी रोड	योगेश	02/04/19	19500000	195000	50000 28000	02/4/19	09/09/19 04/02/20	160 307	4000 4298
11	शांतरशाह रोड	मनोज कुमार	25/04/19	25500000	255000	102000	25/4/19	07/09/19	129	6579
12	बेगमपुर	शिकोन	30/03/19	14500000	145000	58000	31/3/19	04/09/19	157	4553
13	शाहपुर शीतला खेड़ा	मानसी वर्मा	16/02/19	14661818	147000	58800	02/4/19	25/02/20	300	8820
14	बुग्गावाला	महिपाल	16/02/19	8984489	90000	36000	08/4/19	16/05/19	38	684

15	औरंगाबाद	शिवा अग्रवाल	03/05/19	9200000	92000	36500 300	04/5/19	21/09/19 14/02/19	140 275	2555 41
16	मैन बाजार	राकेश कुमार	26/04/19	53493100	535000	214000	26/4/19	30/04/19	04	428
17	मलकपुर चुंगी	शैलेश मोदी	16/02/19	30109091	301000	120400	31/3/19	05/09/19	157	9451
18	रामनगर कैम्प	जसपाल सिंह	28/03/19	57500000	575000	230000	30/3/19	18/06/19	78	8970
19	रामनगर भगवानपुर रोड	कल्पना	03/05/19	32000000	320000	128000	04/5/19	08/07/19	65	4160
20	पूर्वावली	सतपाल	29/03/19	52992800	530000	212000	30/3/19	09/05/19	39	4234
21	लंडौरा	अनुज	29/06/19	11853335	119000	47600	01/7/19	09/09/19	70	1666
22	भगवानपुर	निर्मला देवी	26/04/19	46350200	464000	185600	26/4/19	01/08/19	97	9002
23	सिविल लाइन बस अड्डा	गुड्डी	29/06/19	30875000	309000	123600	01/7/19	27/08/19	57	3523
24	सिविल लाइन तिराहा	प्रवीण सिंह	26/04/19	32500000	325000	130000	26/4/19	09/09/19	136	8840
25	मंगलौर	आदित्य शर्मा	04/05/19	38100000	381000	153400	04/5/19	29/07/19	86	6596
26	झबरेड़ा	रीटम	27/03/19	21500000	215000	86000	02/4/19	12/07/19	101	4343
27	डबल फाटक	सुरेन्द्र सिंह	24/04/19	23207700	232000	92800	24/4/19	18/06/19	55	2552
28	सोहलपुर हद्दीवाला रोड	लीना शर्मा	17/04/19	5729000	57000	22800	18/4/19	29/07/19	102	1163
27	रुड़की बाईपास	अल्का शर्मा	27/03/19	13430115	134000	53600	02/4/19	29/07/19	118	3162
28	बाजुहेड़ी	सोमित सीसोदिया	27/03/19	7000521	70000	26000 2000	02/4/19	01/06/19 23/09/19	60 174	780 174

29	हल्लू माजरा	योगेश	29/06/19	3580915	36000	14400	01/7/19	03/10/19	94	677
30	लक्सर रायसी तिराहा	चंदभान	26/04/19	17500000	175000	35000 35000	27/4/19	13/08/19 03/02/20	78 281	1365 4917
31	लक्सर स्टेशन रोड	अरबिन्द सैनी	29/06/19	4815200	48000	19200	01/7/19	03/02/20	216	2074
32	लक्सर फ्लाई ओवर	संदीप जैन	29/03/19	8000000	80000	32000	02/4/19	13/08/19	133	2128
33	सुल्तानपुर/ कुन्हेरी	मुन्नी देवी	05/04/19	10000000	100000	40000	06/4/19	11/09/19	158	3160
34	रायसी	मनीष राठी	16/03/19	6831000	68000	27200	31/3/19	20/04/19	20	272
35	बुक्कनपुर	संदीप जैन	23/04/19	3740000	37000	14800	25/4/19	27/08/19	124	918
						4569240				**237176**

भाग - II (ब)

प्रस्तर- 02 : अनुज्ञापि को अनुचित लाभ देते रहने से राजस्व क्षति रु0 17.26 लाख।

उत्तराखण्ड शासन आबकारी अनुभाग की अधिसूचना - 126/XXIII/2019/04(04)/2018 देहरादून दिनांक 07.02.2019 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में देशी/विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर बिक्री को विनियमित करने की दृष्टि से वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2019 जारी की गयी थी। नियमावली के **नियम 1 (1.1) के अनुसार** जनपदवार दुकानों के व्यवस्थापन के लिए जनपद हरिद्वार के लिए रु0 362 करोड़ का राजस्व निर्धारित किया गया था। **नियम 1.2 (ख) विदेशी मदिरा दुकान के लाइसेन्स निर्धारण व वसूली के संबंध में थे तथा नियम 2.1 के अनुसार** फुटकर आवंटन हेतु आवेदक को दुकान के कुल राजस्व के 2.5% के बराबर धनराशि आवेदन के साथ धरोहर राशि के रूप में जमा करनी थी। नियम 5.6 प्रथम प्रतिभूति की धनराशि को नकद 07 (सात) दिवस एवं दिवतीय प्रतिभूति नकद अथवा बैंक गारंटी के रूप में मदिरा की दुकानों के व्यवस्थापन के 30 (तीस) दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा। नियम 5.7 दिवतीय प्रतिभूति मदिरा की दुकानों के व्यवस्थापन के 25 (पच्चीस) दिवस के भीतर जमा न करने की दशा में अनुज्ञापि को आवंटित देशी/विदेशी मदिरा की दुकान हेतु मदिरा की आपूर्ति रोक दी जाएगी। नियम 5.8 फुटकर अनुज्ञापियों द्वारा वर्ष के प्रारम्भ में अग्रिम रूप में जमा की गयी राशियों को वर्ष के अंतिम माहों में अनुज्ञापि की देयताओं के विरुद्ध समायोजित कर लिया जाएगा।

जिला आबकारी अधिकारी, हरिद्वार के अभिलेखों की जांच में पाया कि विदेशी मदिरा दुकान काँगड़ी रोड का व्यवस्थापन/आवंटन वर्ष 2019-20 के लिए दुकान के कुल राजस्व रु0 5.00 करोड़, मासिक अधिभार रु0 41.25 लाख पर अनुज्ञापन किया गया था। अनुज्ञापि द्वारा रु0 12.50 लाख की धरोहर राशि के स्थान पर bank draft 673633 dt 12.04.2019 Industrial bank haridwar से जारी बैंक ड्राफ्ट रु0 8.00 लाख मात्र ही आवेदक ने जमा किया था बिना पूर्ण धरोहर राशि के अनुज्ञापित कर लिया गया था पुन: लाईसेंस शुल्क, प्रथम प्रतिभूति, द्वितीय प्रतिभूति व मासिक अधिभार विलम्ब से जमा करता रहा जिसके लिए जिला आबकारी अधिकारी (जि0आ0अधि0) द्वारा बिना किसी दण्डक ब्याज वसूल किए उठान की स्वीकृति देते रहने से अनुचित लाभ दिया गया। वर्ष की सभी देयताओं पर विलम्ब जमा हेतु दण्डक ब्याज राशि रु0 12,69,545/- देय थी।

लेखा परीक्षा में यह भी पाया कि माह जनवरी 2020 का मासिक अधिभार के सापेक्ष मात्र रु0 36.69 लाख का ही मासिक अधिभार (रु0 4.56 लाख कम मासिक अधिभार) अनुज्ञापी द्वारा विभिन्न चालानों के माध्यम से जमा किए। अनुज्ञापि द्वारा लेखा परीक्षा तिथि तक भी रु0 456,000/- का राजस्व एवं सम्पूर्ण वर्ष में जमा किए जाने वाले राजस्व पर देय

दण्डक ब्याज राशि रु0 12,69,545/- का भुगतान न किए जाने से कुल रु0 17,25,545/- के राजस्व हानि हुई।

लेखा परीक्षा में इंगित किए जाने पर इकाई ने उत्तर दिया कि जांचोपरान्त आख्या उपलब्ध कराई जाएगी। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं था जब अनुज्ञापि लगातार राजस्व defaulter था फिर भी जि0आ0अधि0 कार्यालय ने समयोचित कार्यवाही नहीं की, दण्डक ब्याज आरोपित नहीं किया, न ही वसूली की बल्कि विलम्ब से जमा आधे अधूरे मासिक अधिभार पर पूरे वर्ष परमिट जारी कर उठान देते रहे व अनुज्ञापि को अनियमित लाभ देते रहे जिससे राजस्व क्षति हुई।

अत: 17.26 लाख के राजस्व क्षति का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग - II (ब)

प्रस्तर- 03 : अवशेष बकायेदारों के संबंध में कोई भी अभिलेख का रख-रखाव नहीं किया जाना।

Under Para 39 of The United Provinces Excise Act, 1910- All excise revenue including all amounts due to by any person on account of any contract relating to the excise revenue, may be recovered from the person primarily liable to pay the same, or from his surety (if any), as arrears of land revenue or in the manner provided for the recovery of public demands by any law for the time being in force.

कार्यालय की लेखा परीक्षा में पाया कि वर्ष 2019-20 हेतु दुकानों के व्यवस्थापन से विवर्जित किए गए व्यक्तियों की काली सूची जो किसी न किसी प्रकार से आबकारी राजस्व के बकाएदार हैं की काली सूची में 48 विवर्जित व्यक्ति थे। लेखा परीक्षा में ले0प0 तिथि तक राजस्व बकाया, वसूली व वसूली हेतु निर्गत RC आदि के संबंध में बकाया रजिस्टर, RC जारी की कार्यालय प्रति एवं कृत पत्रावली लेखा परीक्षा को उपलब्ध करने के लिए कहने पर कोई बकाया रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। दिनांक 24.08.2020 तक की प्रगति की एक सूचना लेखा परीक्षा को प्रस्तुत की गयी जिसमे 13 व्यक्तियो में से दो व्यक्तियों से वसूली दर्शाई गयी थी। अत: 24.08.2020 तक मात्र 11 व्यक्तियों के विरुद्ध रु0 1511.87 लाख अवशेष दर्शाये गए थे। जिसमें से मदिरा दुकान के बकायेदारो रु0 410.86 लाख वसूल किए दर्शाये गए थे :

मदिरा दुकान	**वित्तीय वर्ष**	**वसूल राजस्व**
CL सलेज फार्म	2017-18	10677560=
मिश्रित- लक्सर	2017-18	12075700=
FL शिवालिक नगर	2018-19	3700000=
FL काँगड़ी रोड	2018-19	11450000=
FL रावली महमूद - Ist अनुज्ञापि	2018-19	1591371=
-do- IInd अनुज्ञापि	2018-19	1591371=
कुल वसूल राजस्व		41086002=

इस प्रकार, लेखा परीक्षा में पाया कि जिलाधिकारी को व्यवस्थापन के समय 48 बकायेदारों की सूची प्रस्तुत की गयी जबकि दिनांक 24.08.2020 के अनुसार मात्र 11 बकाएदार ही दर्शाये गए हैं शेष से वसूली कब की गयी इस संबंध में कोई अभिलेख लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया।

कार्यालय से इन 48 बकायेदारों से वसूली के लिए जारी RC की प्रति उपलब्ध करने के लिए कहने पर कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी के द्वारा जिलाधिकारी को जारी वसूली प्रमाण पत्र के आठ पत्र ही उपलब्ध करा पाया जो 2017-18 के CL सलेज फार्म, FL सलेज फार्म, वर्ष 2018-19 के FL शिवालिक नगर, रावली महमुद, लन्धौरा, कंगरी रोड एवं तेज्जुपुर से संबन्धित थे।

लेखा परीक्षा में इंगित किए जाने पर कार्यालय ने उत्तर दिया कि जांचोपरांत आख्या उपलब्ध कराई जाएगी। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं था राजस्व बकाया की वसूली जबकि भू-राजस्व बकाए के समान की जानी थी विभाग ने कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी न ही विभाग कुल अवशेष बकाया ही सूचित कर पाया। जबकि, प्रत्येक वर्ष मूल बकाया पर ब्याज आगणित कर नयी वसूली राजस्व बकाया की सूची अधतन कर मांग पत्र तैयार करनी चाहिए इस प्रकार समुचित कार्यवाही न किया जाना राजस्व के प्रति विभाग की उदाशीनता का परिचायक था।

अत: अवशेष बकायेदारों के संबंध में कोई भी अभिलेख का रख-रखाव न रखे जाने का प्रकरण उचाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग - II(ब)

प्रस्तर-04 : Trace and Track नियम का अनुश्रवण न कर अनुज्ञापियों पर निगरानी न किया जाना ।

उत्तराखण्ड शासन आबकारी अनुभाग की अधिसूचना - 126/XXIII/2019/04(04)/2018 देहरादून दिनांक 07.02.2019 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में देशी/विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर बिक्री को विनियमित करने की दृष्टि से वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2019 जारी की गयी थी। नियमावली के नियम 30 द्वारा राज्य में मदिरा के व्यवसाय पर प्रभावी नियंत्रण व पारदर्शिता के लिए सम्पूर्ण प्रणाली को Trace and Track नियम धारित किए जाने का प्रावधान किया गया था इस प्रयोजनार्थ नियम 33 में प्रत्येक आसवनी, ब्रुवरी, बौटलिंग प्लांट, वींटनरी, थोक अनुज्ञापन (एफ एल 2) बॉन्ड अनुज्ञापन (बी0 डब्लू एफ एल 2) बार अनुज्ञापन तथा मदिरा की फुटकर दुकानों में IP address युक्त CCTV कैमरा लगाने की व्यवस्था की जानी अनिवार्य की गयी थी, जिससे संबन्धित अनुज्ञापन की समस्त गतिविधि पर आयुक्तलय स्थित कंट्रोल रूम से नियंत्रण रखा जा सके साथ ही साथ नियम 36 में मदिरा परिवहन करने वाले समस्त वाहनो को GPS/GPRS प्रणाली से संयोजित करना अनिवार्य किया गया था।

जिला आबकारी अधिकारी, हरिद्वार के अभिलेखों की जांच में पाया कि नियमावली के अनुसार वांछित अनुज्ञापन की समस्त गतिविधि नियंत्रण हेतु आवश्यक IP address युक्त CCTV कैमरा लगाने की व्यवस्था प्रत्येक आसवनी, ब्रुवरी, बौटलिंग प्लांट, वींटनरी, थोक अनुज्ञापन (एफ एल 2) बॉन्ड अनुज्ञापन (बी0 डब्लू एफ एल 2) बार अनुज्ञापन तथा मदिरा की न ही नियम 36 के अनुसार मदिरा परिवहन करने वाले समस्त वाहनो को GPS/GPRS प्रणाली से संयोजित किए गए थे जिससे मदिरा के परिवहन करने वाले समस्त वाहनो के रूट आदि पर प्रभावी नियंत्रण नहीं रखा जा रहा था।

लेखा परीक्षा में इंगित किए जाने पर कार्यालय ने उत्तर दिया कि मुख्यालय स्तर से नियंत्रित है। अत: प्रकरण को मुख्यालय को संदर्भित की जाएगी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था आसवनी, ब्रुवरी, बौटिंग प्लांट, वींटनरी, थोक अनुज्ञापन (एफ एल 2) बॉन्ड अनुज्ञापन (बी0 डब्लू एफ एल 2) बार अनुज्ञापन तथा मदिरा की फुटकर दुकानों में द्वारा IP address युक्त CCTV कैमरा की व्यवस्थापन का अनुश्रवण जिला आबकारी कार्यालय द्वारा कराया जाना था न की मुख्यालय द्वारा व्यवस्थापन करना था।

अत: नियमावली के विरुद्ध कोई कार्यवाही न कर Trace and Track नियम को सफल न होने दिया एवं अनुज्ञापियों पर कोई नियंत्रण नहीं रखा गया।

भाग दो 'ब'

प्रस्तर- 05 : कोषागार से असत्यापित चालान धनराशि ₹16.01 लाख।

जिला आबकारी अधिकारी हरिद्वार के वर्ष 2019-20 मे नमूना लेखापरीक्षा में पाया कि माह 07/2019 में देशी मदिरा सलेमपुर तिराहा अनुज्ञापी गुड्डी के द्वारा मुख्य लेखाशीर्ष-0039 में जमा चालान संख्या-163 दिनांक-05-07-2019 धनराशि रू-17,78,750/- को कोषाधिकारी हरिद्वार से सत्यापन कराये जाने पर उनके द्वारा अवगत कराया गया कि कोषागार के अभिलेखों में अनुज्ञापी गुड्डी द्वारा दिनांक 05-07-2019 में धनराशि रू 177875/- होना पाया गया है इस प्रकार उक्त दिनांक में जमा धनराशि में रू 1600875/-(1778750-177875) का अन्तर पाया गया है

लेखापरीक्षा द्वारा जमा चालान मेँ अन्तर के सम्बन्ध मे इगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर नहीं दिया गया। कम जमा धनराशि की वसूली हेतु न तो कोषागार से कोई पत्राचार किया गया एवं न ही संबंधित अनुज्ञापी को सूचित किया गया।

इस प्रकार जमा किये गये चालान को कोषागार से सत्यापन कराये जाने पर ₹16,00,875/- का अन्तर पाये जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर- 01 : निर्धारित राजस्व लक्ष्य से कम राजस्व प्राप्त किया जाना।

जिला आबकारी अधिकारी हरिद्वार को वर्ष 2019-20 में रू 362॰00 करोड़ का राजस्व लक्ष्य प्राप्त करने को दिया गया था| जिसके सापेक्ष रू 284॰96 करोड़ राजस्व ही प्राप्त किया जा सका | इस प्रकार रू 77॰04 करोड़ कम राजस्व प्राप्त हुआ।

लेखापरीक्षा द्वारा लक्ष्य के सापेक्ष कम राजस्व प्राप्त होने के सम्बन्ध मे इगित किये जाने पर इकाई ने अवगत कराया कि 22 दुकाने 65% ही चली एवं 35 देशी, विदेशी मदिरा दुकाने अव्यवस्थापित रही। जिससे कम राजस्व प्राप्त हुआ।

अत: निर्धारित राजस्व लक्ष्य से कम राजस्व प्राप्त किये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
RS/SE-06/1998-99	01	-	-
RS/SE-25/2004-05	-	01,02	-
RS/SE-43/2005-06	01	01	-
RS/SE-18/2012-13	-	01,02,04	-
RS/SE-07/2016-17	-	01	
RS/SE-31/2017-18	-	01	-
RS/SE-124/2018-19	01	01,02,03,04,05	
RS/SE-112/2019-20	01	01,02,03	01

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या : इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि सम्बंधित प्रकरणों की अनुपालन आख्या सीधे महालेखाकार कार्यालय को प्रस्तुत करा दी जायेगी।

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य - टिप्पणी शून्य**

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, हरिद्वार** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:

   1. **सतत् अनियमितताएः**

   टिप्पणी- बकाया की वसूली न किया जाना।

2. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री अशोक मिश्रा	(जिला आबकारी अधिकारी)
(ii)	श्री ओमकार सिंह	(जिला आबकारी अधिकारी)
(iii)	श्री प्रभाशंकर मिश्रा	(जिला आबकारी अधिकारी)
(iv)		

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, हरिद्वार** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (ए.एम.जी.-IV) को प्रेषित कर दी जाए।

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी.-IV